



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2015/श्रावण 01, 1937

No. 257]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2015/SRAVANA 01, 1937

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

डिग्रियों का विनिर्देशन

मि.सं. 5-1/2013 (सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के निष्पादन द्वारा तथा जुलाई 5, 2014 को जारी किए गए पूर्व की राजपत्र अधिसूचना में संशोधन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से एतद्वारा कथित डिग्रियों के विनिर्देशन संबंधी यूजीसी अधिसूचना में प्रथम संशोधन अधिसूचित करता है। यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ

1. क्रम सं. 24 तथा 26 से 28 तक विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ संशोधित होंगी तथा इन्हें निम्नवत् पढ़ा जाएगा:—

शिक्षा/अध्यापक प्रशिक्षण					
विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ			स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्ष)	पात्रता योग्यता
	लघुकृत	विस्तारित			
24.	बी.एड.	बैचलर ऑफ एजुकेशन	बैचलर्स	2	बैचलर्स
26.	एम.एड.	मास्टर ऑफ एजुकेशन	मास्टर्स	2	बी.एड./बी.ए., एड/बी.एस.सी., एड/बी.एल. एड/ग्रेजुएट डी-एल.एड
27.	बी.पी.एड.	बैचलर ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन	बैचलर्स	2	बैचलर्स

28.	एम.पी.एड.	मास्टर ऑफ फ़िजिकल एजुकेशन	मास्टर्स	2	बी.पी.एड.
-----	-----------	---------------------------	----------	---	-----------

2. विनिर्दिष्ट नवीन डिग्री निम्नवत् हैं:

	विनिर्दिष्ट डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्ष)	पात्रता योग्यता
	लघुकृत	विस्तारित			
130.	एम.वोक.	मास्टर ऑफ वोकेशन	मास्टर्स	2	बी.वोक.

3. दिनांक 5 जुलाई, 2014 की विनिर्दिष्ट डिग्रियों पर यूजीसी अधिसूचना के मार्गदर्शक सिद्धान्त की धारा (सी) संशोधित होगी तथा निम्नवत् पढ़ी जाएगी:

“यदि एकीकृत पाठ्यक्रम का अभिप्राय निर्गम एवं पार्श्वक प्रवेश की अनुमति के बिना एकल डिग्री प्रदान करने की छूट की अवधि दो डिग्रियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के कुल योग से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी—दो डिग्रियों को एकल एकीकृत डिग्री के रूप में संयुक्त किया जा रहा है।”

जसपाल एस. सन्धू, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./113/15(147)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2015

SPECIFICATION OF DEGREES

No. F. 5-1/2013 (CPP-II).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in amendment of earlier Gazette Notification on specification of degrees issued on July 5, 2014, the University Grants Commission (UGC) with the approval of the Central Government hereby notifies the first amendment in the said UGC Notification on Specification of Degrees. These amendments will come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

SPECIFIED DEGREES

1. The degrees specified at sr. no. 24 and 26 to 28 stand amended and shall be read as under.

Education/ Teachers Training					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Eligibility Qualification
	Abbreviated	Expanded			
24.	B. Ed	Bachelor of Education	BACHELOR'S	2	BACHELOR'S
26.	M.Ed.	Master of Education	MASTER'S	2	B.Ed./B.A, B.Ed./B.Sc. B.Ed./B.El.Ed./Graduate with D.El.Ed.
27.	B.P.Ed.	Bachelor of Physical Education	BACHELOR'S	2	BACHELOR'S
28.	M.P.Ed.	Master of Physical Education	MASTER'S	2	B.P.Ed.

2. The following new degree is specified as under:

	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Eligibility Qualification
	Abbreviated	Expanded			
130.	M.Voc	Master of Vocation	MASTER'S	2	B.Voc

3. Clause (c) of the Guiding Principle of the UGC Notification on specified degrees dated 5th July, 2014 stands amended and shall be read as under.

“If the Integrated Programme intends to offer a single degree without permission to exit and lateral entry, the programme duration may be relaxed by not more than 25% of the sum total of the prescribed duration of the two degrees that are being combined to make the single Integrated degree.”

JASPAL S. SANDHU, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./113/15(147)]